

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 408]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 7, 2014/श्रावण 16, 1936

No. 408]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 7, 2014/SHRAVANA 16, 1936

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2014

सा.का.नि. 568(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 467 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की अनुसूची VII में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

1. अनुसूची VII, में मद (x) के पश्चात् निम्नलिखित मद और प्रविष्टि अंत∶स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् —

"(xi) स्लम क्षेत्र विकास

स्पष्टीकरण – इस मद के प्रयोजन के लिए, 'स्लम क्षेत्र' से केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा तत्समय विधि के अधीन इस प्रकार घोषित कोई क्षेत्र अभिप्रेत है।"

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं.1/18/2013–सीएल-V]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

3124 GI/2014 (1)

टिप्पण: अनुसूची VII 01 अप्रैल, 2014 को प्रवृत्त हुई और अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 130(अ) तारीख 27 फरवरी, 2014 तथा सा.का.िन. 261(अ) तारीख 31 मार्च, 2014 के शुद्धिपत्र द्वारा संशोधित (01 अप्रैल, 2014 से प्रवृत्त) की गई।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 6th August, 2014

- **G.S.R. 568(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 467 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following further amendments in Schedule VII of the said Act, namely:-
- (1) In Schedule VII, after item (x), the following item and entry shall be inserted, namely:-
 - "(xi) slum area development.
 - *Explanation.* For the purposes of this item, the term 'slum area' shall mean any area declared as such by the Central Government or any State Government or any other competent authority under any law for the time being in force."
- 2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 1/18/2013-CL-V] AMARDEEP S. BHATIA, Jt. Secy.

Note.—The Schedule VII was brought into force with effect from 1st April, 2014 and was amended (effective from 1st April, 2014) vide notification number GSR 130(E) dated 27th February, 2014 and Corrigenda number GSR 261(E) dated 31st March, 2014.